न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

(राजस्व वाद संख्या :– 256/2019 अनवान शिवदत बनाम कृष्णलाल)

पीठासीन अधिकारी :– अवि गर्ग आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 256/2019

1 शिवदत पुत्र कृष्णलाल जाति जाट साकिन सूरावाली तहसील जिला हनुमानगढ़।
2 धाईदेवी पत्नी कृष्णलाल जाति जाट साकिन सूरावाली तहसील जिला हनुमानगढ़।

– – वादी

–:: वनाम ::–

1 कृष्णलाल पुत्र नरसाराम जाति जाट साकिन सूरावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2 दुर्गा पुत्री कृष्णलाल पत्नी विनोद जाति जाट साकिन बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3 देविका पुत्री कृष्णलाल पत्नी मनोज जाति जाट साकिन बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4 सुनीता पुत्री कृष्णलाल पत्नी सन्नी जाति जाट साकिन दौलतांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मदनलाल पारिक अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री सन्दीप सैन अधिवक्ता — प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 15.07.2019

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आर. टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 7 एच.डी.पी. के खाता संख्या 19 के पत्थर नम्बर 10/248 (12) किला नम्बर 10, 11, 17/3, 18 ता 21, 24, 25 की 2.074 हैक्टर, पत्थर नम्बर 11/248 (13) किला नम्बर 2 ता 5 की 1.012 हैक्टर, पत्थर नम्बर 9/251 (55) किला नम्बर 1 ता 5 की 1.265 हैक्टर, कुल 4.351 हैक्टर. नहरी अनकमांड मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी दर्ज राजस्व अभिलेख है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है।

वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित भुमि वादी सख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति है जो प्रतिवादी संख्या 1 को वादी संख्या 1 के दादा व वादी संख्या 2 के ससुर नरसाराम से विरास्त में मिली है। इस प्रकार उक्त भूमि पैतृक कृषि भूमि है। जिसमें वादी संख्या 1 का जन्म से हक व हिस्सा है। इस भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 भी वादी संख्या 1 का हक व हिस्सा स्वीकार करता रहा। है। इस पैतृक भूमि बाबत कुछ वर्ष पूर्व पक्षकारान के मध्य घरू बंटवारा हो चुका है। जिसमें वादीया संख्या 2 ने भी अपने हिस्सा की मांग की तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीया संख्या 2 को भी उसका हिस्सा दिया है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जो कि वादी संख्या 1 की बहने है ने अपना हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में छोड़ दिया है वे इस भूमि में अपना हक व हिस्सा नहीं लेना चाहता है। घरू बंटवारा में वादी संख्या 1 को 1.518 हैक्टर भूमि व वादीया संख्या 2 को 1.316 हैक्टर, भूमि प्राप्त हुई है शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। वादीगण अपनी घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि पर बतौर खातेदार काबिज काश्त है परन्तु उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज

लगातार 2

Scanned by CamScanner

होने से वादीगण की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिये वादीगण खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का हकदार है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वह वादीगण को घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम अकंन करवा देवे तो वे कुछ दिन तो टाल मटोल करते रहे परन्तु अब वह 5 रोज पूर्व ऐसा करने से बिल्कुल मना हो गये बस यही वाद कारण है।

अर्जीदावा श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है, जो उचित ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है। लिहाजा इस्तदुआ है कि वाद वादीगण बाद जांच जाब्ता दिवानी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषित किया जावे कि तहसील पीलीबंगा के चक 7 एच.डी.पी. के खाता नम्बर 19 के पत्थर नम्बर 10/248 (12) किला नम्बर 10, 11, 17/3, 18 ता 21, 24, 25 की 2.074 हैक्टर. पत्थर नम्बर 11/248 (13) किला नम्बर 2 ता 5 की 1.012 हैक्टर, पत्थर नम्बर 9/251 (55) किला नम्बर 1 ता 5 की 1.265 हैक्टर, कुल 4.351 हैक्टर, नहरी अनकमांड मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी में वादी संख्या 1 को 1.518 हैक्टर, व वादीया संख्या 2 को 1.316 हैक्टर, भूमि के खातेदार काश्तकार है।

(ख) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो अदालत हाजा उचित समझे दिलाया जावे।।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 15.07.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री मदनलाल पारिक अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण की पहचान श्री सन्दीप सैन अधिवक्ता अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि प्रतिवादी द्वितीय पक्ष संख्या 1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 7 एच.डी.पी. के खाता संख्या 19 के पत्थर नम्बर 10/248 (12) किला नम्बर 10, 11, 17/3, 18 ता 21, 24, 25 की 2.074 हैक्टर, पत्थर नम्बर 11/248 (13) किला नम्बर 2 ता 5 की 1.012 हैक्टर, पत्थर नम्बर 9/251 (55) किला नम्बर 1 ता 5 की 1.265 हैक्टर, कुल 4.351 हैक्टर. नहरी अनकमांड मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी दर्ज राजस्व अभिलेख है।

राजीनामा की दफा 1 में वर्णित भूमि वादी प्रथम पक्ष संख्या 1 की पैतृक सम्पंति है जो प्रतिवादी द्वितीय पक्ष संख्या 1 को वादी प्रथम पक्ष संख्या 1 के दादा व वादी प्रथम पक्ष संख्या 2 के ससुर नरसाराम से विरास्त में मिली है। इस प्रकार उक्त भूमि पैतृक कृषि भूमि है। जिसमें वादी प्रथम पक्ष संख्या 1 का जन्म से हक व हिस्सा है। इस भूमि में प्रतिवादी द्वितीय पक्ष संख्या 1 भी वादी प्रथम पक्ष संख्या 1 का हक व हिस्सा स्वीकार करता रहा है।

इस पैतृक भूमि बाबत कुछ वर्ष पूर्व पक्षकारान के मध्य घरू बंटवारा हो चुका है। जिसमें वादीया प्रथम पक्ष संख्या 2 ने भी अपने हिस्सा की मांग की तो प्रतिवादी द्वितीय पक्ष संख्या 1 ने वादीया प्रथम पक्ष संख्या 2 को भी उसका हिस्सा दिया है। प्रतिवादी द्वितीय पक्ष संख्या 2 ता 4 जो कि वादी प्रथम पक्ष संख्या 1 की बहने है ने अपना हिस्सा वादीगण प्रथम पक्ष व प्रतिवादी द्वितीय पक्ष संख्या 1 के पक्ष में छोड़ दिया है वे इस भूमि में अपना हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है। घरू बंटवारा में वादी प्रथम पक्ष संख्या 1 को 1.518 हैक्टर, भूमि व वादीया प्रथम पक्ष संख्या 2 को 1.316 हैक्टर. भूमि प्राप्त हुई है शेष भूमि प्रतिवादी द्वितीय पक्ष संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। वादीगण प्रथम पक्ष का दावा डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष को कोई आपति व एतराज नही होगा।

लगातार 3

कारी एवं
कलैक्टर
बंगा

Scanned by CamScanner

वादीगण प्रथम पक्ष व प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष ने उक्त राजीनामा बदरूस्ती होशो हवास बिना किसी नशा पता के बिना किसी दबाव व बहकाव के लिखवा दिया है। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री फरमाया जावे।

उभयपक्ष द्वारा राजीनामा के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि वादपत्र में वर्णित भूमि का अन्य किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है, भूमि पैतृक है, राजीनामा के अनुसार हम पक्षकारान मौके पर कब्जा काश्त है। भूमि से सम्बंधित समस्त पक्षकारान को पक्षकार बनाया गया है।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होनें पर किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें के कारण प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए वाद का निर्णय कर डिक्री जारी करनें हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

आर.आर.डी. 2008 पेज 481 की नजीर पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 3 अपनें पति के जीवित रहते हुए पुत्रों द्वारा पैतृक सम्पत्ति के बराबर विभाजन की मांग करनें पर उसे भी पुत्रों के बराबर हिस्से की मांग की है, जो प्रिंसिपल आफ हिन्दू ला के पैरा 315 के विवेचन एवम् गुरूपत खण्डापा बनाम हीराबाई में प्रतिपादित सिद्वान्तों के आधार पर अपना हिस्सा प्राप्त करनें की अधिकारिणी है तथा वह अपनें परिवार की पैतृक सम्पत्ति में पति व पुत्रों के बराबर के हिस्से की घोषणा करवानें की अधिकारिणी है। अतः राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय किया जावे।

लगातार 4

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्यन्न किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि तहसील पीलीबंगा के चक 7 एच.डी.पी. के खाता संख्या 19 के पत्थर नम्बर 10/248 (12) किला नम्बर 10, 11, 17/3, 18 ता 21, 24, 25 की 2.074 हैक्टर, पत्थर नम्बर 11/248 (13) किला नम्बर 2 ता 5 की 1.012 हैक्टर, पत्थर नम्बर 9/251 (55) किला नम्बर 1 ता 5 की 1.265 हैक्टर, कुल 4.351 हैक्टर. नहरी अनकमांड मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी जो प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व अभिलेख है जो जद्दी जायदाद होनें के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्ररतुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 7 एच. डी.पी. के खाता नम्बर 19 के पत्थर नम्बर 10/248 (12) किला नम्बर 10, 11, 17/3, 18 ता 21, 24, 25 की 2,074 हैक्टर. पत्थर नम्बर 11/248 (13) किला नम्बर 2 ता 5 की 1. 012 हैक्टर, पत्थर नम्बर 9/251 (55) किला नम्बर 1 ता 5 की 1.265 हैक्टर, कुल 4.351 हैक्टर, नहरी अनकमांड मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी में से वादी संख्या 1 शिवदत्त पुत्र कृष्णलाल को 1.518 हैक्टर, व वादीया संख्या 2 धाई देवी पत्नी कृष्णलाल को 1.316 हैक्टर, भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

आदेशानुसार डिक्री जारी हो। तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि के सम्वंध में निम्न बिन्दुओं की पूर्ण जांच कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे :–

1. वाद पत्र में वर्णित भूमि के सम्वध में वर्तमान में किसी अन्य न्यायालय में कोई वाद/स्थगन तो विचाराधीन नहीं है।
2. वाद पत्र में वर्णित भूमि के सम्वंध में किसी भी प्रकार का कोई बकाया ना हो भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त हो।
3. वाद पत्र में वर्णित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16, विशेष आवंटन/सीलिग अधिनियम से प्रभावित न हो।
4. वाद में वर्णित भूमि गैर खातेदार/रकबा राज ना हो
5. वाद पत्र में वर्णित भूमि पर उभयपक्ष के कब्जा सम्वंधी पूर्ण जांच करें।
6. वाद पत्र में वर्णित भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 15.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

Scanned by CamScanner